

आज दिनांक 21.06.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति गिरफ्तार

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्रा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री विजय नारायण प्रसाद की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 341 / 2022 धारा 34 /143 /188 / 283 / 341 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता अजय गौड़ पुत्र रविन्द्र गौड़ निवासी ऊँनखास ओनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.06.2022 को भारत सरकार द्वारा चालू की गयी “अग्निपथ” योजन के विरोध में अपने 50-60 साथियों के साथ मिल कर बस्ती से गोरखपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेदुला चौराहे के पास जाम कर दिया गया था जिससे लोक मार्ग में संकट एवं आने जाने वाले यात्रियों के आवगमन में असुविधा उत्पन्न हुई थी। जनपद में धारा 144 के प्रभावी होने के फलस्वरूप कोई भी रैली / पदयात्रा / विरोध प्रदर्शन करने पर निषेध रहता है जिसका उक्त अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया गया था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी कलेक्ट्रेट उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 गौतम यादव, का0 विजय गौतम ।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 महिला वारण्टी नाम पता कृष्णमति पत्नी विद्या प्रकाश निवासी भठना विसौवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नरेन्द्र तिवारी, का0 सुरेश प्रताप यादव, म0का0 नेहा पाल, म0का0 आकृति सिंह ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 18

अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मारपीट / विवाद को दौरान घायल व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत गरधौलिया से इवेन्ट संख्या 02366 से कालर ने मारपीट / विवाद के दौरान 04 लोगों (हरिकेश पुत्र रामसमुझ, कुन्दन पुत्र हरिकेश, रविन्द्र पुत्र फागू, धर्मवीर पुत्र हरिकेश) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट / विवाद में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 अखिलेश सिंह, आरक्षी अरुण कुमार यादव, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 39 वाहनो से 28,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 21.06.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 39 वाहनो से 28,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।